मारूति सेवा संस्थान, अरथुना
तह. गढ़ी, जि. बांसवाड़ा (राज.)

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत
संस्था रजिस्ट्रेशन कराने हेतु आदर्श विधान (नियमावली)

आवेदन प्रपत्र

गौरव प्रकाशन
18, भगवान दास मार्केट, चौड़ा रास्ता,
जयपुर- फोन : 325434

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली)
तथा
संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों की प्रबन्धकारिणी पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी जिसमें कम से कम 15 आवेदक सदस्यों का होना अनिवार्य है।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा-20

9. **सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:-** इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात:-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, [1][खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

1. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

10. राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्रारूप प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावे।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 5/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।
12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कालोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे।
16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।
17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।
19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ग्रेजुएट आवश्यक हैं।
20. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
21. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। ''परिवार'' से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नि, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हो तथा पति की विधवा मां जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।
22. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
23. अधिसूचना क्रमांक प. 4 (5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।

नोट : रजिस्ट्रार संस्थाऐं द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार संस्थाऐं के हस्ताक्षर से ही जमा कराया जावे।

.... समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नाम:-** इस संस्था का नाम मारुति सेवा संस्थान समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय बांसवाड़ा (अरथूना) है
तथा कार्यक्षेत्र:- अरथूना तह० गढ़ी
तथा इसका कार्यक्षेत्र बांसवाड़ा जिला सम्पूर्ण क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य:-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. शैक्षिक उत्थान – इस हेतु क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय स्तर तक की शिक्षा प्रदान करना एवं इनकी स्थापना व प्रबन्धन करना।
2. महिला शिक्षा एवं उनके उत्थान, स्तरोन्नयन हेतु कार्य करना
3. जन स्वास्थ्य कार्यक्रम – पल्स पोलियो, अन्धता निवारण टी०बी०, एड्स, कैन्सर व विभिन्न रोगों की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना।
4. स्वयंसेवी संस्थाओं, तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रमों में
5. सहभागिता करना तथा इसकी ~~स्थापना~~ एवं व्यावसायिक शिक्षा ~~की~~ स्थापना करना
6. ग्रामीण क्षेत्रों के असहाय व निर्धन बालक बालिकाओं के लिए वाचनालय, अध्ययन एवं स्वास्थ्य चेतना जाग्रत करना

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष [गुलाबचन्द डेण्डिया] मंत्री [शंकरलाल शर्मा] कोषाध्यक्ष [गोविन्दलाल पाटीदार]

अध्यक्ष मारुति सेवा संस्थान, अरथूना तह. गढ़ी, जि. बांसवाड़ा (राज.)
कोषाध्यक्ष मारुति सेवा संस्थान, अरथूना तह. गढ़ी, जि. बांसवाड़ा (राज.)

7. शाकाहार एवं अहिंसा का प्रचार प्रसार करना।
8. पर्यावरण एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण करना व जन चेतना जाग्रत करना।
9. निरक्षरता उन्मूलन एवं साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन।
10. अ.जा./अ.ज.जा. एवं निम्न वर्गों में शिक्षा का प्रसार करना व पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करना।
11. समाज में प्रचलित अन्ध विश्वास एवं कुरीतियों के उन्मूलन हेतु प्रयास करना।
12. क्षेत्र में चल रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग व भागीदारी करना।
13. हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा के उन्नयन हेतु कोचिंग सेन्टर कार्यशाला शिविरों का आयोजन करना।
14. जन जाति बाहुल्य के ग्रामीण विकास, जल संरक्षण हेतु जनहित हेतु प्रयास करना।
15. संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक एवं श्रेष्ठ नागरिक के निर्माण हेतु युवा शक्ति को राष्ट्र विकास हेतु जोड़ना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष [गुलाबचन्द डेण्डिया] मंत्री [शंकरलाल शर्मा] कोषाध्यक्ष [गोविन्दलाल पाटीदार]

अध्यक्ष मारुति सेवा संस्थान, अरथूना तह. गढ़ी, जि. बांसवाड़ा (राज.)
कोषाध्यक्ष मारुति सेवा संस्थान, अरथूना तह. गढ़ी, जि. बांसवाड़ा (राज.)

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / **REG. NO.- 82/BSW/2011-12**

दिनांक / DATE- 11-03-2024

MARUTI SEVA SANSTHAN ARTHUNA जिला **बांसवाड़ा** राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा– 4 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड मे संधारित किया जाता है।

MARUTI SEVA SANSTHAN ARTHUNA DISTRICT **Banswara** IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTEED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958

SECTION- 4 (1) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
1		Bijulal Labana	MALE	President	Todi badi, Kesarpura, Arthuna	01/01/1948
2		Pradeep Kumar Labana	MALE	MEMBER	Todi badi, Kesarpura, Arthuna	12/08/1989
3		Rakesh Kumar Labana	MALE	Vice President	Todi badi, Kesarpura, Arthuna	26/08/1983
4		Sandeep Kumar Dantla	MALE	Thesaurus	Todi badi, Kesarpura, Arthuna	05/07/1992
5		Shilpa Devi Labana	FEMALE	Secretary	Todi badi, Kesarpura, Arthuna	05/07/1988

Signature valid

Digitally signed by Paresh Pandya
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.03.11 12:17:05 IST
Reason: Approved
Location: Banswara

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		Teena Kumari Labana	FEMALE	FEMAL MEMBER	Todi badi, Kesarpura Arthuna	10/06/1995
7		Vikram Labana	MALE	MEMBER	Nayagav, Peeth Simalwara	04/02/1993

नोट– इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।

Signature valid

Digitally signed by Paresh Pandya
Designation : REGISTRAR
Date: 2024.03.11 12:17:05 IST
Reason: Approved
Location: Banswara

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.				
38.				
40.				

संस्था का पंजीयन क्रमांक 82/बांसवाड़ा/2011-12
संस्था का नाम मारुति सेवा संस्थान अरथूना
किस्म दस्तावेज संघ विधान + नियमावली
दस्तावेजों की संख्या
दिनांक पंजीयन 24.10.2011

रजिस्ट्रार संस्थाएँ
बांसवाडा

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी)
धनपाल जैन
1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
धनपाल जैन, व्यापार
श्री चन्द्रप्रभ ज्वैलर्स
V/P अरथूना तह. गढ़ी
जि. बांसवाड़ा (राज.)

Attested
व्याख्याता (संस्कृत)
रा.उ.मा.वि. अरथूना

(साक्षी)
ललितपाटीदार
2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
[ललित पाटीदार
कृषक
पो. मोड़ा

नोट : शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

अध्यक्ष — अध्यक्ष [सुन्दरलाल चन्द्र कोठिया]
मंत्री — सचिव [शंकरलाल शर्मा]
कोषाध्यक्ष — कोषाध्यक्ष [गोविन्दलाल पाटीदार]
मारुति सेवा संस्थान, अरथूना तह. गढ़ी, जि. बांसवाड़ा (राज.)

मारुति सेवा संस्थान अरथूना समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नाम:-** इस संस्था का नाम मारुति सेवा संस्थान, अरथूना समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय अरथूना बाँसवाड़ा
तथा कार्यक्षेत्र:- अरथूना है
तथा इसका कार्यक्षेत्र बाँसवाड़ा सम्पूर्ण जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. **संस्था के उद्देश्य:-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. शैक्षिक उत्थान - इस हेतु क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय, स्तर तक की शिक्षा प्रदान करना एवं इनकी स्थापना व प्रबन्ध करना।
2. महिला शिक्षा एवं इनके उत्थान, स्तरोन्नयन हेतु कार्य करना।
3. जन स्वास्थ्य कार्यक्रम - पल्स पोलियो, अन्धता निवारण, टी.बी. एड्स, कैन्सर व विभिन्न रोगों की रोकथाम हेतु कार्यशाला का आयोजन करना।
4. स्वयंसेवी संस्थाओं, तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रमों में सहभागिता करना एवं इसकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की स्थापना करना।
6. ग्रामीण क्षेत्रों के असहाय व निर्धन बालक बालिकाओं के लिए वाचनालय अध्ययन एवं स्वास्थ्य चेतना जाग्रत करना।
8. शाकाहार एवं अहिंसा का प्रचार प्रसार करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष — अध्यक्ष [सुन्दरलाल चन्द्र कोठिया]
मंत्री — सचिव [शंकरलाल शर्मा]
कोषाध्यक्ष — कोषाध्यक्ष [गोविन्दलाल पाटीदार]
मारुति सेवा संस्थान, अरथूना तह. गढ़ी, जि. बांसवाड़ा (राज.)

7. पर्यावरण एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण करना व जन चेतना जाग्रत करना।

8. निरक्षरता उन्मूलन एवं साक्षरता प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन

9. अनुजा/ अजजा एवं निम्न वर्ग में शिक्षा का प्रसार करना एवं पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करना।

10. समाज में प्रचलित अन्धविश्वास एवं कुरीतियों के उन्मूलन हेतु प्रयास करना।

11. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ती हेतु व्यक्तियों, संस्थाओं, एवं सरकारों से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना।

12. विधान- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ती में कोई व्यक्तिगत लाभ निहित नहीं है।

13. संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी के चुनाव आवश्यक होने पर प्रति वर्ष में साधारण सभा द्वारा चुनाव कराये जा सकते हैं।

14. प्रबन्ध कार्यकारिणी के 2/3 सदस्यों की सर्वसम्मति से इस संस्था का अन्य किसी संस्था में व किसी अन्य संस्था का इस संस्था में समायोजन किया जा सकता है।

15. राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत नियमों की पालना की जायेगी।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष — मन्त्री — कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष, मारुति सेवा संस्थान, अरथुना, तह. गढ़ी, जि. बांसवाड़ा (राज.)

4. सदस्यता :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:-

1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

2- बालिग हों।

3- पागल, दीवालिये न हों।

4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।

5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण :- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

1-संरक्षक

2-विशिष्ठ

3-सम्माननीय

4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :- उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1-संरक्षक राशि.......-.......वार्षिक/आजन्म

2-विशिष्ठ राशि.......-.......वार्षिक/आजन्म

3-सम्माननीय राशि.......-.......वार्षिक

4-साधारण राशि....1200....वार्षिक प्रत्येक सदस्य

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. ....100 रु- प्रति माह.... की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन :- संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1-मृत्यु होने पर

2-त्याग-पत्र देने पर

3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

अध्यक्ष — मन्त्री — कोषाध्यक्ष

मारुति सेवा संस्थान, अरथुना, तह. गढ़ी, जि. बांसवाड़ा (राज.)

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:– संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :– **साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे :–**

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।

2- वार्षिक बजट पारित करना।

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

10. साधारण सभा की बैठकें :–

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

अध्यक्ष अध्यक्ष मारुति सेवा संस्थान, अरथुना तह. गढ़ी जि. बांसवाड़ा (राज.) — मन्त्री सचिव मारुति सेवा संस्थान, अरथुना — कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष मारुति सेवा संस्थान, अरथुना तह. गढ़ी जि. बांसवाड़ा (राज.)

11. कार्यकारिणी का गठन :– **संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–**

1. अध्यक्ष-एक   2. उपाध्यक्ष-एक

3. मन्त्री-एक   4. कोषाध्यक्ष-एक

5. सदस्य-सात

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ......5...... पदाधिकारी व ......12...... सदस्य कुल ......7...... सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :–

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य :– **संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगे :–**

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अध्यक्ष अध्यक्ष मारुति सेवा संस्थान, अरथुना तह. गढ़ी जि. बांसवाड़ा (राज.) — मन्त्री सचिव मारुति सेवा संस्थान, अरथुना — कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष मारुति सेवा संस्थान, अरथुना तह. गढ़ी जि. बांसवाड़ा (राज.)

14. कार्यकारिणी की बैठकें :- 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :- संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1-अध्यक्ष :

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

सचिव मारुति सेवा संस्थान, अरनुना ... (राज.)

कोषाध्यक्ष मारुति सेवा संस्थान, अरनुना ... (राज.)

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4-उपमंत्री :

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष :- संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

सचिव मारुति सेवा संस्थान, अरनुना ... (राज.)

कोषाध्यक्ष मारुति सेवा संस्थान, अरनुना ... (राज.)

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :- संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :-

1-अध्यक्ष 5000 रु.

2-मन्त्री 2000 रु.

3-कोषाध्यक्ष 1000 रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण :- संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।

19. संस्था के विधान मे परिवर्तन :- संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन :- यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :- रजिस्ट्रार संस्थाएं बाँसवाड़ा को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान नियमावली .... संस्था/समिति/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

संस्था का पंजीयन क्रमांक 82/बाँसवाड़ा/2011-12
संस्था का नाम मारुति सेवा संस्थान अरथुना
किस्म दस्तावेज संघ विधान + नियमावली
दस्तावेजों की संख्या ....
दिनांक 25.10.2011

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष

सहायक रजिस्ट्रार संस्थाएँ बांसवाड़ा

अध्यक्ष [गुलाबचन्द्र .....] | मन्त्री [शंकरलाल शर्मा] | कोषाध्यक्ष [गोविन्दलाल .....]

मारुति सेवा संस्थान, अरथुना तह. गढ़ी, जि. बांसवाड़ा (राज.)

शपथ–पत्र का प्रपत्र संलग्न है

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था .... के सशपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि:-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था .... के पंजीयन हेतु कुल 09 आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्ताकित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें, बाँसवाड़ा को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, बाँसवाड़ा को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें .... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष | मन्त्री | कोषाध्यक्ष

नोट : यह शपथ पत्र रुपये 5/- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होगा।

अध्यक्ष [गुलाबचन्द्र .....] | मन्त्री [शंकरलाल शर्मा] | कोषाध्यक्ष [गोविन्दलाल .....]

मारुति सेवा संस्थान, अरथुना तह. गढ़ी, जि. बांसवाड़ा (राज.)

निर्वाचित प्रबंधकारिणी के अनुमोदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना

शपथ-पत्र सैलग्न है

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एवं अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था .... के सशपथ घोषणा करते हैं कि:-

1. हमारी संस्था का पंजीयन सं. .... दिनांक .... है।
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य .... हैं।
3. संस्था की आम सभा दिनांक .... को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीकृत विधान के अनुसार कार्यकारिणी का निर्वाचन दिनांक .... को हुआ। निर्वाचन कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए चुनी गई हैं, जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
4. संस्था की उपर्युक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं संस्थान के सम्बन्ध में आम सभा सदस्य कार्यकारिणी के तथ्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. प्रबन्धकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमों आदि में प्रस्तुत करने हेतु चाहिए।
6. संस्था की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक .... की सूचना का नोटिस दिनांक .... को समस्त सदस्यों को सूचनार्थ जारी कर दिया गया था।
7. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आने पर दी गई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष
मारुति सेवा संस्थान, अरथुना (राज.)

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

नोट : यह शपथ पत्र रुपये 5/- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित कराना होगा।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

सचिव कोषाध्यक्ष
मारुति सेवा संस्थान, अरथुना (राज.)

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाएें प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।
4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
5. बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।
6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।
7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र

हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।

8. तुलनात्मक स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।
10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।